

अध्याय IV

सेवाकर पर सेनवेट क्रेडिट

16 अगस्त 2002 से सेवाकर क्रेडिट नियमावली 2002 के अन्तर्गत आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर का भुगतान इनपुट सेवाओं पर दत्त सेवाकर के सेनवेट क्रेडिट में से अनुमत था। 10 सितम्बर 2004 से, इस नियम को सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के साथ समाकलित कर दिया गया। सेनवेट क्रेडिट नियमों के अन्तर्गत लिए गए क्रेडिट का उपयोग, कुछ शर्तों को पूरा कर, आउटपुट सेवाओं पर देय अन्तिम उत्पाद या सेवाकर पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है। नमूना जाँच के दौरान ध्यान में आए ₹ 7.89 करोड़ के कर के गलत सेनवेट क्रेडिट दिए जाने के कुछ मामलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णन किया गया है। इन आपत्तियों के बारे में मंत्रालय को 10 ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफों द्वारा सूचित किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 5.38 करोड़ की राशि वाले छ: ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (दिसम्बर 2010 तक) किया जिसमें से ₹ 0.78 करोड़ की वसूली की गई थी।

4.1 इनपुट सेवाओं पर कर के भुगतान हेतु उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4)(ई) के अन्तर्गत इनपुट सेवाओं पर दत्त सेवाकर के सेनवेट क्रेडिट को आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

4.1.1 नासिक सेवाकर कमिशनरी में मैसर्स थार्डिस्पिन क्रुप इलैक्ट्रीकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लिया। निर्धारिती ने इस क्रेडिट को विदेशी सेवा प्रदाता से प्राप्त और माल परिवहन एजेंसी सेवा (जीटीए) पर सेवाकर के भुगतान के लिए प्रयोग किया। चूंकि उपरोक्त सेवाएं इनपुट सेवाएं थीं, 2009-10 में प्रयोग किया गया ₹ 94.57 लाख का सेनवेट क्रेडिट अनियमित और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अप्रैल 2010) विभाग ने सूचना दी (अप्रैल 2010) की निर्धारिती के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.1.2 चार निर्धारितियों कोलकाता, मुम्बई की सेवाकर कमिशनरियों में तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की हल्दिया तथा पूणे III कमिशनरियों में प्रत्येक में से एक ने अप्रैल 2006 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान संग्रहित सेनवेट क्रेडिट में से जीटीए सेवाओं पर ₹ 48.88 लाख के सेवाकर का भुगतान किया। चूंकि जीटीए एक इनपुट सेवा है, सेनवेट क्रेडिट का गलत प्रयोग हुआ और ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि की वसूली की जानी चाहिए थी।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2008 से नवम्बर 2009 के बीच), विभाग ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2009 से मई 2010 के

बीच) और एक मामले में ₹12 लाख की वसूली और बाकी सभी मामलों में वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में सूचना दी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.2 इनपुट सेवाओं पर सेनेट क्रेडिट का समय पूर्व प्रयोग

सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(7) में प्रावधान है कि इनपुट सेवाओं पर कर के भुगतान पर सेनेट क्रेडिट उस दिन अनुमत होना चाहिए, जिस दिन या जिस के बाद जिस पर इनपुट सेवा और सेवाकर पर भुगतान किया गया हो। साथ ही नियम 14 में प्रावधान है कि जहाँ सेनेट गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया हो, निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता से ब्याज सहित उसकी वसूली की जानी चाहिए।

4.2.1 भुवनेश्वर I और भुवनेश्वर II कमिश्नरियों के प्रत्येक में से एक, दो निर्धारिति जो स्पॉज आयरन का निर्माण करते हैं, ने अक्टूबर 2007, फरवरी 2008, अप्रैल 2008 और फरवरी 2009 माह के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (जीटीए) सेवाओं के लिए सेवाकर का भुगतान उत्तरवर्ती माह के 5वे से 20वें दिन टीआर-6 चालानों से किया किन्तु सेवाकर के भुगतान से पूर्ववर्ती माह के दौरान क्रेडिट लिया। इसके परिणामस्वरूप सेवाकर पर ₹ 118.46 लाख का समयपूर्व सेनेट क्रेडिट लिया गया जो कि गलत था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2008 से फरवरी 2010 के बीच) विभाग ने (फरवरी 2010 से मार्च 2010 के बीच) पहले मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया कि निर्धारिति के विरुद्ध ₹1.31 करोड़ की मांग की पुष्टि कर दी गई थी और अन्य मामले में उसने बताया कि मामले की जाँच की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.2.2 हैदराबाद II कमिश्नरी में मैसर्स वैकेंट साई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, जो सहायक व्यवसायिक सेवाएं और केबल आपरेटर सेवाएं प्रदान करता है, ने बकाया इनपुट सेवा क्रेडिट बिल के आधार पर 31 मार्च 2009 के अन्त में ₹ 39.70 लाख का सेवाकर क्रेडिट लिया। चूंकि इसने न तो इनपुट सेवा के लिए और न ही उस पर सेवाकर का भुगतान किया, बकाया बिलों पर ऐसा क्रेडिट लेना गलत था और लिया गया सेवाकर क्रेडिट ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2009), विभाग ने निर्धारिति द्वारा ₹ 39.70 लाख के क्रेडिट वापिस करने के बारे में सूचना दी (अगस्त 2009) किन्तु बताया कि ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्धारिति द्वारा लिए गए क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया था। विभाग का उत्तर बोर्ड के 3 सितम्बर 2009 के स्पष्टीकरण के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि वापिस किए जाने पर क्रेडिट का प्रयोग किया गया हो या नहीं इसका ध्यान किए बगैर ब्याज का भुगतान करना होगा।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.3 कर योग्य/छूट प्राप्त सेवाओं में प्रयोग की गई सामान्य इनपुट सेवाओं के लिए अलग खाते का रखरखाव न किया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार जब एक आउटपुट सेवा प्रदाता किसी भी इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट लेता है और ऐसी आउटपुट सेवा प्रदान करता है जिस पर कर प्रभारित हो और साथ ही सेवाकर से छूट प्राप्त हो, तो आउटपुट सेवा प्रदाता को, आउटपुट सेवा प्रदान करने में प्रयोग की गई इनपुट सेवा के लिए और छूट प्राप्त सेवाओं में इनपुट सेवा की मात्रा हेतु अलग खाते का रखरखाव करना होता है। इसके अतिरिक्त, उक्त सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आउटपुट सेवा प्रदाता जिसने अलग खाते का रखरखाव नहीं करने का चयन किया हो, को विकल्प होता है कि या तो नियम 6(3) (i) के अन्तर्गत छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के आठ प्रतिशत के बराबर की राशि का भुगतान करे या नियम 6(3) (ii) के अन्तर्गत इनपुट और इनपुट सेवाएं जिनका उपयोग छूट प्राप्त माल के संबंध में या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए हो के बराबर सेनवेट क्रेडिट की राशि का भुगतान लिखित में उत्पाद शुल्क अधीक्षक को अनिवार्य रूप से सूचित करने के बाद और नियम 6(3ए) के अन्तर्गत प्रति माह के लिए अस्थायी रूप से भुगतान करे।

जमशेदपुर कमिशनरी में मैसर्स जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्युट ने अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान कर योग्य आउटपुट सेवाएं, जैसे मैनेजमेंट कनसल्टेंसी, मेनडेप कीपर, मेनपावर रिक्रूटमेंट एजेंसी, अचल सम्पत्ति को किराए पर देना इत्यादि और इसके साथ-साथ छूट प्राप्त सेवाएं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैनेजमेंट इन्शोरेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स्स प्रदान की। निर्धारिती ने छूट प्राप्त और कर योग्य सेवाओं के लिए इनपुट सेवाओं के अलग खाते का रखरखाव नहीं किया। इसने छूट प्राप्त सेवाओं पर ₹ 2180.75 लाख की राशि उगाही किन्तु छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य का आठ प्रतिशत अर्थात ₹ 1.74 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2009), विभाग ने बताया (अप्रैल 2010) कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3ए)(सी) की शर्तों में छूट प्राप्त सेवाओं के लिए प्रयोग की गई इनपुट सेवाओं हेतु सेनवेट क्रेडिट की राशि ₹ 26.63 लाख थी जिसे 1 फरवरी 2010 को उगाहा गया था और निर्धारिती को आगे ब्याज जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने न तो नियम 6(3)(ii) के अन्तर्गत विकल्प चुना न ही नियम 6(3ए) के अन्तर्गत वांछित मासिक आधार पर यथानुपात राशि का भुगतान किया। अतः वह नियम 6(3ए)(सी) के अन्तर्गत भुगतान के लिए योग्य नहीं था और नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत ₹ 1.74 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.4 अनुपयुक्त सेवाओं पर सेवाकर क्रेडिट का गलत वितरण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1)के साथ पठित नियम 7 में प्रावधान है कि इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) उसकी निर्माता यूनिटों या आउटपुट सेवा प्रदाता यूनिटों को अन्तिम उत्पाद के निर्माण के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले इनपुट सेवाओं पर दत्त सेवाकर के सेनवेट क्रेडिट का वितरण कर सकता है।

कोलकाता सेवाकर कमिश्नरी में इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड कोलकाता ने 2006-07 से 2008-09 की अवधि के दौरान अन्य तेल कम्पनियों जैसे आईओसीएल, एचपीएल इत्यादि द्वारा निर्मित ट्रेड ऐलियम उत्पादों के इनवर्ड परिवहन के लिए प्रयोग की जा रही जीटीए सेवाओं पर ₹ 37.66 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया। निर्धारिती ने अपनी निर्माता यूनिटों को अपना क्रेडिट वितरित किया। चूंकि प्राप्त सेवाकर का उसकी यूनिटों के निर्मित माल के साथ सम्बन्ध नहीं था यह इनपुट सेवा के क्षेत्र से बाहर थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.66 लाख की राशि के क्रेडिट का गलत उपयोग और विवरण हुआ, जिसकी व्याज सहित वसूली की जानी थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (दिसम्बर 2008), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मार्च 2010) कि निर्धारिती को कारण बताओ और मांग ज्ञापन किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.5 अवैध दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9(1)(एफ) में प्रावधान है कि सेनवेट क्रेडिट, आउटपुट सेवा या इनपुट सेवा वितरण के निर्माता या प्रदाता द्वारा, या जैसा भी मामला हो इनपुट सेवा के सेवा प्रदाता द्वारा सितम्बर 2004 के 10वें दिन या बाद में जारी एक बीजक, एक बिल या चालान के आधार पर लिया जाएगा।

जयपुर I कमिश्नरी में मैसर्स डीएससी लिमिटेड, कोटा और मैसर्स भारती हेक्सागन लिमिटेड, जयपुर जो क्रमशः तकनीकी जाँच और प्रमाणन सेवाएं, जीटीए, कनसल्टिंग इंजीनियर सेवाएं और सेल्युलर टेलीफोनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, ने सेवाकर और शिक्षा उपकर के ₹ 26.60 लाख का सेनवेट क्रेडिट वर्ष 2008-09 में विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए गए डेबिट नोट्स के आधार पर लिया। अवैध दस्तावेजों अर्थात् "डेबिट नोट" के आधार पर लिया गया सेवाकर क्रेडिट अनियमित था।

जब हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (मई 2010) एक मामले में विभाग ने सूचित किया (मार्च 2010) कि कारण बताओ ज्ञापन जारी किया जा रहा था और दूसरे मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की और बताया (जून 2010) कि बोर्ड ने अपने दिनांक 30 अप्रैल 2010 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(7) के अन्तर्गत डेबिट नोट और क्रेडिट नोट द्वारा किए गए भुगतान पर क्रेडिट अनुमत किया जा सकता है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कथित परिपत्र ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(7) के अन्तर्गत सेनवेट क्रेडिट लेने की शर्त का स्पष्टीकरण किया था किन्तु यह नियम 9(1) के प्रावधानों के बार में मूक था, जिसमें सेनवेट क्रेडिट लेने के लिए वांछित दस्तावेजों को स्पष्ट किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.6 अधिक सेनवेट क्रेडिट लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 में प्रावधान है कि जहाँ सेनवेट क्रेडिट गलती से लिया या प्रयोग किया गया हो, तो निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता से उसकी ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

सेवाकर की दिल्ली कमिशनरी में मैसर्स लारसन और टूबो लिमिटेड, नई दिल्ली जो कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सेवाएं और विभिन्न निर्माण सेवाएं प्रदान करती है, ने 2007-08 की अवधि के दौरान ₹ 23,848 की वास्तविक हकदारी के प्रति ₹ 11.23 लाख का सेनवेट क्रेडिट लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.99 लाख का सेनवेट क्रेडिट अधिक लिया गया।

मामला विभाग को सितम्बर 2009 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।